Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V(Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षेः
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 98 / 2025

श्री सुभाष चन्द बंसल — परिवादी
निवासी– मकान सं0 156, लेन नं0 6ए,
नजदीक गुप्ता स्टोर, सुभाष नगर, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांकः 27.02.2026
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विद्युत मीटर जल जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन निम्नलिखित बिन्दुवार है–:

1. *मेरा बिजली का मीटर जुलाई, 25 में जल गया था, जिसकी शिकायत मीटर रीडर से कर दी थी जिसका संदेश मेरे पास भी आया था, परन्तु अभी तक नया मीटर नहीं लगा है।*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

2. *जुलाई के बाद बिजली का बिल लगातार हर महीने आ रहा है परन्तु बिल मीटर रीडिंग से आ रहा है, जब मीटर जला हुआ है अर्थात् काम नहीं कर रहा है तो रीडिंग कहां से आ रही है। कई बार एस.डी.ओ. व जे0ई0 से मिलने पर भी शिकायत का समाधान नही हुआ लिखित में कॉपी संलग्न है, परन्तु कोई समाधान नहीं।*

3. *मोबाइल फोन द्वारा बताया गया कि बिल तो भरना पड़ेगा उसके बाद ही शिकायत का समाधान होगा, तो मैने दिनांक 18.11.2025 को चैक से (रू0 17459/–) विभाग में जमा कर दिया, परन्तु connectivity न होने के कारण कहा गया कि रसीद बाद में लेना, अभी भी चैक विभाग में पड़ा है।*

4. *चैक जमा करने के बावजूद भी मेरा कनेक्शन दिनांक 22.11.2025 को काट दिया गया। पैसे जमा करवाकर रू0 200/– का दंड लगाकर कनेक्शन रात तक जोड़ा गया और कनेक्शन जोड़ने वाले ने रू0 358/– लिये तभी कनेक्शन जोड़ा गया और रसीद मांगने पर कहा कि रसीद विभाग से मिलेगी जो अभी तक नहीं दी। बार–बार मौखिक शिकायत करने व लिखित शिकायत करने पर भी समाधान नही हुआ और परेशान किया गया। कृपया आवश्यक कार्यवाही की जाये।"*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 843 दिनांकित 26/12/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि" *उपभोक्ता द्वारा मीटर जल जाने की शिकायत की गई है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता को मीटर रीडिंग के आधार पर ही बिल प्रेषित किया गया है।"*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763872–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 94 दिनांकित 28/12/2025 से मंच को निम्नलिखित बिन्दुवार अवगत कराया गया :–

1. *"उपभोक्ता के शिकायत पर मीटर बदल दिया गया है।*
2. *उपभोक्ता के मीटर की टर्मिनल प्लेट जल गई थी, बावजूद टर्मिनल प्लेट जलने के उपरान्त भी मापक से विद्युत संयोजन संयोजित था, इसलिए उपभोक्ता को मीटर रीडिंग के आधार पर बिल निर्गत किये गये थे।*
3. *उपभोक्ता का विद्युत बकाये पर विद्युत संयोजन विच्छेदित किया गया था, जोकि बकाया भुगतान के उपरान्त पुनः जोड दिया गया था। शेष के सम्बन्ध में उपभोक्ता द्वारा कोई भी स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी की शिकातय का क्रमशः निस्तारण निम्नवत् है:–

1. बिन्दु संख्या 01 के संबंध में मंच द्वारा विपक्षी की आख्या के साथ संलग्न कंज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन किया गया जिसके उपरान्त मंच के संज्ञान में आया कि विपक्षी द्वारा परिवादी का विद्युत मपक दिनांक 06.01.2026 को स्मार्ट मीटर संख्या 5719540 से परिवर्तित कर दिया गया है।
2. बिन्दु संख्या 02 के संबध में मंच द्वारा विपक्षी की आख्या के बिंन्दु राख्या 02 का संज्ञान लिया गया जिससे स्पष्ट है कि परिवादी के विद्युत मीटर की टर्मिनल प्लेट जल गई थी, बावजूद टर्मिनल प्लेट जलने के उपरान्त भी मापक से विद्युत संयोजन संयोजित था। विपक्षी की आख्या से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा भी

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई-मेल cgrfgz@gmail.com

परिवादी के विद्युत मापक की टर्मिनल प्लेट जलने की शिकायत को स्वीकार किया गया है, जहा तक परिवादी की शिकायत कि जले हुए विद्युत मीटर से रीडिंग के आधार पर बिल कैसे प्रेषित किया जा रहे है, तो इस संबंध में मंच का नत है कि मीटर टर्मिनल प्लेट जलने पर भी ऊर्जीकृत था, जिस कारण दिनांक 06.01.2026 को स्मार्ट मीटर संख्या 5719540 से परिवर्तित किये जाने तक पुराने मीटर की बिलिंग वास्तविक खपत के आधार पर की जा रही थी जो कि मंच का मत है तर्कसंगत है।

3. बिन्दु संख्या 03 में परिवादी द्वारा रू0 17459.00 चैक जमा किया जाने के उपरान्त भी दिनांक 22.11.2025 को संयोजन विच्छेदित किये जाने की बात कही गई है, के संबंध में विपक्षी द्वारा द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता का विद्युत बकाये पर विद्युत संयोजन विच्छेदित किया गया था, जोकि बकाया भुगतान के उपरान्त पुनः जोड दिया गया था। मंच द्वारा सुनवाई तिथि 29.12.2025 को परिवादी को उपरोक्त चैक जाम किये जाने के साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने एवं उपखण्ड कार्यालय में चैक किस कर्मचारी को जमा किया गया है की पहचान किये जाने हेतु उपखण्ड कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देर्शित किया गया था, परन्तु न तो परिवादी द्वारा इस संबंध में उपखण्ड कार्यालय में उपस्थित हुए न ही अगली नियत तिथियों में मंच के सम्मुख उपस्थित हुए जिससे यह स्पष्ट है कि परिवादी अपनी शिकायत में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है।

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को वास्तविक मीटर्ड यूनिट के आधार पर ही विद्युत बिल निर्गत किये जा रहे थे जो कि पूर्व माहों की खपत के लगभग समान्तर ही है, जिससे स्पष्ट है कि

Elec.ricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्षॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उल्लेखित अवधि में परिवादी के विद्युत मापक द्वारा विद्युत खपत का आकलन सही प्रकार से किया जा है, तथा विपक्षी द्वारा निर्गत बिलो में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27-2-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

27/02/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

27/02/2
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone. 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 101/2025

श्री दीपक सिंह नेगी, पुत्र श्री दलबीर सिंह नेगी परिवादी
निवासी– फेस–5, बालाजी इन्कलेव, शिमला बाईपास
रोड़, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम दिनांक: 11.02.2026

श्री रजनीश माथुर तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अत्याधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि " *मेरा आवास फेस–5, बालाजी इन्कलेव, गोरखपुर चौक, शिमला बाईपास, रोड़, देहरादून में स्थित है जिसमें विद्युत वितरण उपखण्ड, गणेशपुर, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, के माध्यम से एक घरेलू विद्युत संयोजन संख्या MP12113224906 (खाता सं0 41802307347) जिस पर मीटर सं0 5592418 स्थापित है। जिसमें माह अगस्त से विद्युत बिल सामान्य से अधिक आ रहा है। जिसके कारण*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रे
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपभोग न होते हुये भी प्रार्थी को अधिक विद्युत बिल का भुगतान करना पड़ रहा है। अतः आपसे करबद्ध अनुरोध है कि मेरे विद्युत बिल को संशोधित करवाने हेतु सम्बन्धित सक्षम अधिकारी को निर्देशित करने की महान कृपा करें, प्रार्थी आपका आभारी रहेगा।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 5740 दिनांकित 24/12/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि" *संयोजन संख्या MP12113224906,नामें श्री दीपक सिंह नेगी, निवासी–फेस–05, बालाजी इन्कलेव, गोरखपुर, शिमला बाईपास रोड़, देहरादून को उनके द्वारा उपभोग की गई वास्तविक खपत के अनुसार ही विद्युत बीजक निर्गत किये गयें है, एवं वर्तमान में उपभोक्ता का दो माह का विद्युत बिल 2803.00 रू0 हैं जो कि सही है तथा उपभोक्ता के विद्युत बिल में किसी भी प्रकार का संशोधन अवशेष नही हैं।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का **अवलोकन किया गया।** मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि माह अगस्त में एवं उस के बाद भी विपक्षी द्वारा परिवादी को मीटर्ड यूनिट के आधार पर ही विद्युत बिल निर्गत किये जा रहे थे जो कि पूर्व माहों की खपत के लगभग समान्तर ही है, चैक मीटर फाईनल प्रपत्र संख्या 038 बुक संख्या 027 से स्पष्ट है कि परिवादी का वर्तमान विद्युत मापक 5592418 सही प्रकार कार्य कर रहा है, जिससे स्पष्ट है कि उल्लेखित अवधि में परिवादी के विद्युत मापक द्वारा विद्युत खपत का आकलन सही प्रकार से किया जा है, तथा विपक्षी द्वारा निर्गत बिलो मे

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office ; 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

11-2-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

11/02/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

11/02/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248(
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767:
ई–मेल cgrfgz@gmail.cor

परिवाद सं0 103 / 2025

श्री कुँवर सिंह तडियाल पुत्र श्री स्व० भागचन्द सिंह — परिवादी
निवासी–मकान नं०–75,
ए–ब्लॉक सरस्वती विहार,
अजबपुर खुर्द, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांकः 09.02.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि मेरा कनेक्शन नं० 40105149028 का मीटर नवम्बर 2024 में खराब हो गया था जिसकी सूचना मेरे द्वारा विभाग को दी गयी एवं विभाग द्वारा 3/01/2025 को मेरा नया मीटर लगाया गया, उसके पश्चात जनवरी 2025 में मेरे द्वारा 762 यूनीट का बिल रू० 4221/– का भुगतान किया गया, एवं उसके पश्चात अप्रैल 2025 से मेरा बिल आना बंद हो गया जिसकी सूचना मेरे द्वारा कई बार विभाग को दी गयी, लेकिन जब 3–4 महीने बाद भी मेरा बिल नही आया तो मेरे द्वारा आराधर बिजली घर में शिकायत की गयी, तो उनके द्वारा मुझे बताया गया कि मेरा 53278 का बिल बकाया है, जिसके लिये मुझे बिजली विभाग टेस्ट में भेजा गया, जहा मुझे कहा गया कि हम इसकी जाँच करके बतायेगें, उसके बाद अगस्त 2025 सें नवंबर 2025 तक मुझे कई बार यही आशवाशन दिया गया, एवं मुझे कोई भी विवरण एवं अन्य सन्तोषजनक समाधान नहीं दिया गया, उसके बाद विभाग*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रं
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195(
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

द्वारा अचानक विभाग द्वारा दिसम्बर 2025 में मुझे 65724/– रू० का बिल दिया गया जो कि निराधार है अतः आपसे निवेदन है कि आवश्यक कार्यवाही करें।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 4323, दिनांकित 05/01/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि उपभोक्ता की शिकायत पर दिनांक 03.01.2025 को मीटर बदला गया, तत्पश्चात अवर अभियन्ता मीटर्स द्वारा मीटर को सिस्टम में अकिंत करते समय उपभोक्ता के मीटर में रीडिंग 37319 दर्शायी गई है, जिसके आधार पर इस कार्यालय से उपभोक्ता के संयोजन संख्या CD27155084565 का बिल बनाकर CCBR के माध्यम से फीड कर दिया गया है। दिसम्बर माह में उपभोक्ता की शिकायत प्राप्त होने पर पत्रांक 4227 दिनांक 15.12.2025 सहायक अभियन्ता (मीटर्स) से उतारे गये मीटर की वास्तविक रीडिंग व स्थिति के सम्बन्ध में जानव चाही गयी, परन्तु आज दिनांक तक जानकारी अपेक्षित है। माननीय मंच में वाद दायर होने के पश्चात पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 4267 दिनांक 24.12.2025 के द्वारा उक्त मीटर के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी, परन्तु आज दिनांक तक जानकारी प्राप्त नहीं हुयी है, अधोहस्ताक्षरी द्वारा वर्तमान में सहायक अभियन्ता (मीटर्स) से फोन पर वार्ता की गयी, सहायक अभियन्ता (मीटर्स) ने फोन पर अवगत कराया है कि मीटर को बदले हुये काफी समय हो गया है, जिस कारण मीटर की आख्या उपलब्ध कराने में विलम्ब हो रहा है।"*

विपक्षी द्वारा एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 4391, दिनांकित 19/01/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि उक्त परिवाद संख्या 103/2025 के शिकायतकर्ता श्री कुँवर सिंह तडियाल के द्वारा संयोजन संख्या CD27155084565 (श्री भाग चन्द सिंह) का विद्युत बिल संशोधन के सन्दर्भ में वाद दर्ज कराया गया है, विद्युत बिल को सहायक अभियन्ता मीटर्स के पत्रांक 235/ दिनांक– 13.01.2026 के अनुसार CCBR से संशोधन कर स्वीकृति हेतु खण्ड कार्यालय को पत्रांक 4388 दिनांक 17.01.2026 के द्वारा प्रेषित कर दिया गया है।"*

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त के सन्दर्भ में मंच द्वारा कंज्यूमर लेजर का अवलोकन किया गया जिससे मंच के संज्ञान में आया कि विपक्षी द्वारा परिवादी के विद्युत बिल दिनांक 21.01.2026 को CCBR के माध्यम रो संशोधित कर दिया गया है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की विद्युत बिल संबंधी शिकायत का निवारण वि संशोधित कर एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी लिखित संतुष्टि पत्र के माध्यम से व्यक्त कि जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी लिखित संतुष्टि पत्र के माध्यम से व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80, बसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

4-2-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

09/02/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

09/02/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रे
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

परिवाद सं0 107 / 2025

श्रीमती ऊषा चावला पत्नी श्री एच०के० चावला, — परिवादी
निवासी– 182 फेस–02,
वसन्त विहार, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 27.02.2026
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding access amount of Billing.

The Complainant submits and prays as under:-

" I have lodged the Complaint of meter on. 1912 on date 19 Septemder 2025 for replacement of Defective Meter. Complaint was registered no.: 21909250357 meter was not Changed according the rules. It was replaced on date 11/11/2025 & got two IDF Bills.

1. *I have paid the First bill*
2. *Second Bill of IDF is not my fault it took approx 2 months. kindly do the needful. It will be obliged."*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.cor

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1251, दिनांकित 15/01/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि खराब विद्युत मीटर सहायक अभियन्ता–मीटर, विद्युत परीक्षणशाला (दक्षिण), 18 ई०सी० रोड, देहरादून के कार्यालय द्वारा बदला जाता है, अतः सहायक अभियन्ता–मीटर, विद्युत परीक्षणशाला (दक्षिण), देहरादून को इस कार्यालय के पत्र संख्या 1241/वि.वि.उ.ख.व.वि./एम–1, दिनांक– 09.01.2026 से उपभोक्ता श्री एच०के० चावला के विद्युत मीटर को विलम्ब से बदलने के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था। जिसके उत्तर में सहायक अभियन्ता–मीटर द्वारा अपने पत्र सं० 10/न.वि.प.शा.(द)/दे०दून दिनांक–12.01.2026 से अवर अभियन्ता–मापक की आख्या उपलब्ध कराई है, जिसमें अवगत कराया गया है कि उक्त संयोजन की Complaint Genus Company को Forward की गई थी चूँकि लम्बे समया से 3 फेस मीटर (नय) Lab द्वारा उपलब्ध नहीं हुए एवं Company द्वारा भी उतारे गये 3 फेस मीटर (जो Guarantee period व useable हो) उपलब्ध नहीं कराये गये थे, अतः Non Smart Meter भी लगाना सम्भव नहीं हो पाया। अतः Complaint Company द्वारा attend करवाई गई व Smart Meter लगवाया गया।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि परिवादी की मूल शिकायत विपक्षी द्वारा उन्हें प्रेषित दूसरे आई0डी0एफ0 बिल दिनांक 11.11.2025 से एवं खराब विद्युत मीटर को देरी से बदलने के क्रम में क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने के संबंध में है।

यहाँ पर **यह** उल्लेख करना आवश्यक है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and**

Related Matters) Regulations, 2020 के विनियम 5.1.7(1) में त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुय मीटरो की बिलिंग हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.1.7(1) "The Consumer shall be billed on the basic of the average consumption of the past three billing/cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stolen. These charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter."

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति परिवादी को दिनांक 10.10.2025 से 12.11.2025 अर्थात् 03 बिल चक्रों में प्रेषित आई0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष 01 विद्युत बिल में औसतन 29 यूनिट को निरस्त कर उक्त विद्युत बिल में केवल नये मीटर की वास्तविक रीडिंग अनुसार विद्युत बिल संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

परिवादी की अन्य शिकायत खराब विद्युत मीटर बदले जाने में हुई देरी के लिए क्षतिपूर्ति के संबंध में हैं जिस के क्रम में मंच द्वारा मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Standard of Performance Regulations), 2022** के कार्य निष्पादन के मानक विनियम् 2022 के SCHEDULE –III (Guaranteed Standards of Performance and Compensation to affected person in Case of Default)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

"Complaint lodged for defective/stuck meter" का संज्ञान लिया गया जिसके अनुपालन मे परिवादी 23 दिनों (53–30) के विलंब हेतु क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा परिवादी को प्रेषित बिल दिनांक 10.10.2025 से 12.11.2025 अर्थात् 03 बिल चक्रों में प्रेषित आई0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष 01 विद्युत बिल में औसतन 29 यूनिट को निरस्त कर उक्त विद्युत बिल में केवल नये मीटर की वास्तविक रीडिंग अनुसार विद्युत बिल संशोधित करे। इस प्रकार संशोधित विद्युत बिल पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा।

मंच द्वारा विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि परिवादी उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के कार्य निष्पादन के मानक विनियम् 2022 के SCHEDULE –III (Guaranteed Standards of Performance and Compensation to affected person in Case of Default) "Complaint lodged for defective/stuck meter" के तहत् 23 दिनों (53–30) के विलंब हेतु 23×100 = 2300रूपये क्षतिपूर्ति प्रदान करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

पत्रावली वाखिल दफ्तर हो।

27-2-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

27/02/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

27/02/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 108/2025

श्री जुगल किशोर मारवाह,
निवासी– के–14 फेस–02,
ट्रांसपोर्ट नगर, देहरादून। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। विपक्षी

कोरम दिनांक: 27.02.2026
श्री रजनीश माथुर तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding excess amount of Billing.

The Complainant submits and prays as under:-

"I am looking for help since march 2024 my issue related to no supply in K14 Shop phase 2 transport nagar dehradun, uttrakhand after raising multiple complaint no solution and no electricity but still bill is generated in NA and suddenly bill showing Rs 23784.

We checked with JE Ashish he said I can not do anything go to Bhandari on ISBT to make bill lesser, he again denied and my father suffered whole day and up down to 10 km to get conclusion. Later they said submit the Bill we submitted the bill online with disconnection receipt. Please get help in reimbursement of whole amount which is wrongly charged."

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रं
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 20, दिनांकित 07/01/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि आवेदक द्वारा अपना विद्युत संयोजन सं० SD65566741626 हेतु बिल जमा की गई धनराशि वापिसी हेतु शिकायत की गई है। उपभोक्ता द्वारा अपने उक्त संयोजन को स्थायी विच्छेदन करवा दिया गया है। वर्तमान में स्थायी विच्छेदन की कार्यवाही प्रक्रियधीन है। अतः विभागीय नियमानुसार उपभोक्ता की जमानत धनराशि उपभोक्ता को वापिस करा दी जायेगी।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि परिवादी विद्युत विभाग द्वारा गलत विद्युत बिल जो कि परिवादी द्वारा जाम किया जा चुका है को वापिस दिलाये जाने हेतु निवेदन कर रहा है।

मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन किया गया जिससे मंच के संज्ञान में आया कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 20.06.2022 से दिनांक 29.04.2024 तक शून्य मीटर्ड यूनिट के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किया जा रहा था एवं दिनांक 23.06.2024 को एन0ए0 के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किया गया। पुनः दिनांक 18.08.2024 से दिनांक 26.04.2025 तक शून्य मीटर्ड यूनिट के आधार पर बिल प्रेषित किया गया एवं एकाएक दिनांक 21.05.2025 एवं दिनांक 14.12.2025 में एन0ए0 के आधार पर क्रमशः 246 यूनिट एवं 2100 यूनिट के आधार पर बिल प्रेषित किया गया है, जबकि परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री में डिस्कनेक्शन और रिकनेक्शन विवरण में डिस्कनेव.. 1 रीडिंग KWH 332 है, जिससे स्पष्ट है कि परिवादी को एन0ए0 अवधि में प्रेषित विद्युत यूनिटो के बिल पूर्ण रूप से गलत है क्योंकि परिवादी के मीटर की अंतिम रीडिंग (डिस्कनेक्शन) रीडिंग KWH 332 है। विपक्षी द्वारा स्वयः भी

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhrval Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

सुनवाई के दौरान यह स्वीकार किया गया कि परिवादी लंबे समय से उक्त परिसर का उपयोग नहीं कर कर रहा है जिस कारण परिवादी को उपरोक्त उल्लेखित अवधि में शून्य यूनिट के विद्युत बिल प्रेषित किये जा रहे थे।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच का मत है कि विपक्षी परिवादी को एन0ए0 के आधार पर प्रेषित विद्युत बिल अवधि 23.06.2024, 21.05.2025 एवं 14.12.2025 में प्रेषित विद्युत बिलों को निरस्त करे एवं उक्त विद्युत बिलों को वास्तविक शून्य यूनिट के आधार पर संशोधित करते हुए स्थाई विच्छेदन कार्यालय ज्ञाप जारी किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को एन0ए0 के आधार पर प्रेषित विद्युत बिल अवधि 23.06.2024, 21.05.2025 एवं 14.12.2025 में प्रेषित विद्युत बिलों को निरस्त करे एवं उक्त विद्युत बिलों को वास्तविक शून्य यूनिट के आधार पर संशोधित करते हुए जमानत धनराशि का समायोजन करते हुए स्थाई विच्छेदन कार्यालय ज्ञाप जारी करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27-2-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

27/02/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

27/02/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0109 / 2025

श्री राजा भट्ट पुत्र स्व0 सीता राम भट्ट — **परिवादी**
निवासी– गौरी विहार, हरिपुरकलॉ तहसील
ऋषिकेश

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड (ऋषिकेश)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 07.02.2026
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विद्युत संयोजन निर्गत न किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *"प्रार्थी ग्राम हरिपुरकलॉ के भूमिधरी खाता खतौनी सं0 00585 फसली वर्ष 1416 से 1421 के अनुसार वर्ग 1 क का संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात माल है। भूमिधरी भूमि में आवासीय भवन स्थित है। जिसमें प्रार्थी सपरिवार निवास कर रहा है। जिसका मौका मुआयेना कर प्रार्थी के नये विद्युत संयोजन के आवेदन संख्या 444261125012 सम्बन्धित यू0पी0सी0एल0 एस.डी.ओ. मोबाइल नं0 9412075402 वीरभद्र जे0जी0 ग्लास ऋषिकेश का अभी तक संयोजन संयोजित नही किया गया है। जिससे प्रार्थी को अत्याधिक परेशानी हो रही है। प्रार्थी लीवर का मरीज है और उसकी माली हालात भी ठीक नही है। विद्युत विभाग द्वारा*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

कनैक्शन देने के लिए परेशान किया जा रहा है और मोबाईल पर मैसेज देने के बाद भी प्रार्थी को उसके आवासीय भवन में अभी तक कनैक्शन नही दिया गया है। अतः महोदय जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी की शिकायत का संज्ञान लेते हुये नये विद्युत संयोजन के आवेदन संख्या 444261125012 सम्बन्धित यू0पी0सी0एल0 एस.डी.ओ. मोबाईल नं0 9412075402 वीरभद्र जे0जी0 ग्लास ऋषिकेश को शीघ्र कनैक्शन देने का कष्ट करें"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 11 दिनांकित 03/01/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि" *श्री राजा भट्ट, पुत्र श्री सीता राम भट्ट, गौरी विहार निकट आशा राम बापू आश्रम, हरिपुरकलां, द्वारा हरिपुरकंला स्थित अपनी संपत्ति खाता खतौनी संख्या 00585 परनये विद्युत संयोजन हेतु इस कार्यालय में (रजिस्ट्रेशन संख्या 444261125012) दिनांक 26.11.2025 को आवेदन किया गया था किन्तु श्री महावीर सिंह खरोला, पुत्र स्व0 श्री प्रेम सिंह खरोला, आशा राम बापू आश्रम रोड़, हरिपुरकलां, द्वारा श्री राजा भट्ट पुत्र श्री सीता राम को नये विद्युत संयोजन दिये जाने पर आपत्ति पत्र प्रेषित किया गया है। (पत्र की प्रति संलग्न) तथा अपने नाम से उसी संपत्ति खाता खतौनी संख्या 00585 पर विद्युत संयोजन दिये जाने हेतु इस कार्यालय में (रजिस्ट्रेशन संख्या 444031225009) आवेदन किया गया है। इस कार्यालय पत्रांक संख्या 1294 वि0वि0उ0ख0रा0ऋ0/दिनांक 08.12.2025 के माध्यम से विभागीय अधिवक्ता को आवेदनकर्ताओं द्वारा विद्युत संयोजन लेने हेतु उपलब्ध कराये गये दस्तावेज तहसील के माध्यम से लेकर यह स्पष्ट करने हेतु प्रेषित किये गये है कि उक्त जमीन के वास्तविक स्वामी कौन है। आवेदनकर्ताओं द्वारा विद्युत संयोजन हेतु संपत्ति से संबधित उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उक्त संपत्ति के स्वामी कौन है जिस कारण आवेदक श्री राजा राम भट्ट, पुत्र स्व0 श्री सीता राम भट्ट, को नया विद्युत संयोजन निर्गत नहीं किया गया।"*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निपटारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 99 दिनांकित 28/01/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि" *अवर अभियन्ता, 33/11 के0वी0 उपसंस्थान, हरिपुरकलां द्वारा उक्त साइट का स्थलीय निरीक्षण कर अवगत कराया गया कि वर्तमान में जिस परिसर पर श्री राजा भट्ट, पुत्र श्री सीता राम भट्ट विद्युत संयोजन लेना चाहता है उस परिसर पर श्री राजा भट्ट अपने परिवार सहित निवासरत है।*"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि उनके द्वारा विपक्षी के कार्यालय में विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया था, परन्तु विपक्षी का कथन है कि आवेदनकर्ता द्वारा विद्युत संयोजन हेतु संपत्ति से संबधित उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उक्त संपत्ति के स्वामी कौन है जिस कारण आवेदक श्री राजा राम भट्ट, पुत्र स्व0 श्री सीता राम भट्ट, को नया विद्युत संयोजन निर्गत नहीं किया गया।

विपक्षी द्वारा दिनांक 05.02.2026 की सुनवाई के दौरान अपनी आख्या के माध्यम से मंच को अवगत कराया कि श्री महावीर सिंह खरोला, पुत्र स्व0 श्री प्रेम सिंह खरोला, आशा राम बापू आश्रम रोड़, हरिपुरकलां, द्वारा श्री राजा भट्ट पुत्र श्री सीता राम को नये विद्युत संयोजन दिये जाने पर आपत्ति पत्र प्रेषित की गई है। मंच द्वारा विपक्षी की आख्या के क्रम में श्री महावीर सिंह खरोला, पुत्र स्व0 श्री प्रेम सिंह खरोला, आशा राम बापू आश्रम रोड़, हरिपुरकलां को तृतीय पक्ष के रूप में दिनांक 12.06.2026 को सुना गया, तृतीय पक्ष द्वारा मंच के सम्मुख मौखिक रूप से श्री राजा भट्ट पुत्र श्री सीता राम को नये विद्युत संयोजन दिये जाने पर आपत्ति की गई, एवं बताया गया कि वर्तमान में उक्त परिसर पर परिवादी श्री राज भट्ट निवासरत है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

विपक्षी द्वारा अपनी एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 99 दिनांक 28.01.2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वर्तमान में जिस परिसर पर श्री राजा भट्ट, पुत्र श्री सीता राम भट्ट, विद्युत संयोजन लेना चाहता है उस परिसर पर श्री राजा भट्ट अपने परिवार सहित निवासरत है।

यहा पर माननीय् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम **3.3.2(4)(a)(i)** के प्रथम परन्तुक का उल्लेख समीचीन होगा– **"Provided that in case the Applicant is unable to submit any of the document listed at a)to e) above, then the Applicant** shall be **charged thrice the amount of security as per Table 3.6 of Clause (11) of Sub-regulation 3.3.3. The owner of the premises, if different from the applicant, shall not be liable for payment of any dues against such connection."**

अतः उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त मंच का मत है कि विपक्षी विद्युत अधिनियम् 2003 की धारा 43(1) के अन्तर्गत परिवादी को विद्युत संयोजन निर्गत करें। बिजली पाना परिवादी का मौलिक अधिकार है। विपक्षी द्वारा माननीय् **UERC** के **Supply Code 2020** के विनियम् **3.3.2(4)(a)(i)** के प्रथम परन्तुक के अनुसार परिवादी के आवेदन पर कार्यवाही किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम् **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New**

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

Connections and Related Matters) Regulations, 2020 के विनियम् 3.3.2(4)(a)(i) के प्रथम परन्तुकः– **"Provided that in case the Applicant is unable to submit any of the document listed at a)to e) above, then the Applicant shall be charged thrice the amount of security as per Table 3.6 of Clause (11) of Sub-regulation 3.3.3. The owner of the premises, if different from the applicant, shall not be liable for payment of any dues against such connection."** के तहत् विद्युत संयोजन जारी करे। विपक्षी आदेश की अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति** के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में **अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

7-2-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

07/02/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

07/02/2
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 114 / 2025

श्री अरूण रमौला केयर ऑफ नारैणी देवी,
निवासी–निकट काली मंदिर,
बंजारावाला, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 17.02.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि प्रार्थी का माह अक्टूबर तक का बिल 28632/– रूपये आया है जो कि पूर्व में आए बिलों से 10 गुना अधिक है प्रार्थी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। कि प्रार्थी के घर पर पूर्व में लगे मीटर को हटाकर स्मार्ट मीटर लगाया गया है जिस कारण प्रार्थी के बिल में यह त्रुटी हुई है। अतः महोदय आपसे निवेदन है कि प्रार्थी के पुराने मीटरकी रीडिंग की त्रुटी को ठीक करके बिल को संशोधित किया जाये जिससे प्रार्थी बिल का ससमय भुगतान कर सकें।"*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 32 दिनांकित 08 / 01 / 2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि *"आवेदक द्वारा अपना विद्युत संयोजन सं0 SD15703154148 का माह 10/2025 में विद्युत बिल अत्याधिक आने की शिकायत की गई है। अवगत कराना है कि उपभोक्ता के विद्युत*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

बिल को संशोधन कर उपखण्ड कार्यालय के पत्रांक 852 दिनांक 30.12.2025 के माध्यम से खण्ड कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने अपनी एक अन्य आख्या पत्रांक 85 दिनांकित 27/01/2026 से मंच को पुनः अवगत कराया गया है कि *"उपभोक्ता का विद्युत बिल दिनांक 08.01.2026 को संशोधित कर दिया गया है एवं संशोधित बिल का भुगतान भी रू0 1718.00 दिनांक 12.01.2026 को उपभोक्ता द्वारा जमा कर दिया गया है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन *SD15703254148* की जॉच करने के उपरान्त उपभोक्ता का विद्युत बिल दिनांक 08.01.2026 को संशोधित कर दिया गया है एवं संशोधित बिल का भुगतान भी रू0 1718.00 दिनांक 12.01.2026 को उपभोक्ता द्वारा जमा कर दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की विद्युत बिल संबंधी शिकायत का निवारण विद्युत बिल संशोधित कर कर दिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने को कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

17-2-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

17/02/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

17/02/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रं
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 116 / 2025

श्री अमित कुमार पुत्र स्व0 श्री रोशन लाल — परिवादी
निवासी– 42, पार्क रोड़, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांकः 11.02.2026
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अत्याधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *" मैं अमित कुमार पुत्र स्व0 रोशन लाल, पार्क रोड़, देहरादून का रहने वाला हूँ, मेरा कनेक्शन नं0 SD25158041915 है। महोदय मैं एक गरीब आदमी हूँ जो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का भरण–पोषण कर रहा हूँ, मेरा विद्युत बिल अप्रैल 2025 में एकदम से रू0 10,000.00 से ऊपर का आ गया है और मैं विद्युत बिल ठीक करवाने के लिए विभाग के चक्कर काट चुका हूँ, महोदय मेरा आपसे अनुरोध है कि आप विभाग से मेरा बिल ठीक करवाने की कृपा करें। प्रार्थी आपका जीवन भर आभारी रहेगा।"*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 530 दिनांकित 28/01/2026 से मंच को बिन्दुवार आख्या से अवगत कराया है:–

1. *"SD25158041915 का विद्युत संयोजन श्री रोशन लाल, 42 पार्क रोड़ के नाम पर है।*
2. *उक्त संयोजन दिनांक 18.06.1982 को निर्गत हुआ है, जिसका विद्युत भार 01 कि0वा0 है।*
3. *उपभोक्ता के परिसर पर मीटर संख्या 132232 स्थापित है, जो जीनस मेक है।*
4. *उपभोक्ता की रीडिंग हिस्ट्री संलग्न है।*
5. *उपभोक्ता के पिछले 04/2024 से 01/2026 तक (माह 04/2025 को छोडकर) सभी बिल सामान्य यूनिट के बने हैं।*
6. *उपभोक्ता का एक बिल 04/2025 का 1646 यूनिट का बना है।*
7. *उपभोक्ता के मीटर की एम.आर.आई करने हेतु, उपखण्ड के कार्यालय पत्रांक संख्या 514 दिनांक 15.01.2025 के द्वारा, सहायक अभियन्ता (मापक), नगरीय परीक्षण शाला, देहरादून के पत्रांक सं0 31 दिनांक 23.01.2026 के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया कि उक्त मीटर की एम.आर.आई करना सम्भव नहीं है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली **का अवलोकन किया गया।** पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के बिल दिये जाते रहें, जिनका परिवादी नियमित रूप से ससमय भुगतान भी कर रहा है, परन्तु दिनांक 08.03.2025 से दिनांक 19.04.2025 अर्थात् 43

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Gathwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

दिनों के एक विद्युत बिल चक्र में एकाएक 1646 यूनिट रू0 10599.00 धनराशि का विद्युत बिल प्रेषित किया गया जिसपर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि उनके अनुसार न तो इतनी अधिक खपत पूर्व में कभी रही है न ही उक्त विवादित बिल चक्र के बाद।

1 किलोवाट के संयोजन पर बिना प्रमाण के दर्शायी गयी प्रतिदिन 38 यूनिट (1646/43) की खपत को मंच स्वीकार नहीं कर सकता है, सम्भवतः मीटर में किसी प्रकार की अस्थाई तकनीकि त्रुटि उत्पन्न हुई हो जिस कारण मीटर द्वारा वास्तविक खपत से अधिक खपत दर्शायी हो, ऐसी दशा में परिवादी को दिनांक 19.04.2025 में प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक को पूर्व की तीन बिल चक्रों यथा 03/2025, 02/2025 एवं 01/2025 की औसत खपत 158.33 अर्थात् 158 यूनिट (213+185+77)/3 के आधार पर संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 19.04.2025 में प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक को पूर्व की तीन बिल चक्रों यथा 03/2025, 02/2025 एवं 01/2025 की औसत खपत 158.33 अर्थात् 158 यूनिट (213+185+77)/3 के आधार पर संशोधितकरें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक संख्या 132232 को अविलंब स्मार्ट मीटर से परिवर्तित कराया जाना

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में पुन इस प्रकार की शिकायत उत्पन्न न हो सकें उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

11-2-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

11/02/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

11/02/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C. Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763872–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

परिवाद सं0 118/2025

श्रीमती शैला भट्ट,
निवासी–23–ए ब्लॉक,
अपर राजीव नगर,
पो०ओ० नेहरू ग्राम, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

दिनांक: 19.02.2026

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद यू०पी०सी०एल० द्वारा सोलर प्लांट से उत्पादित अतिरिक्त विद्युत ऊर्जा के भुगतान में अनावश्यक विलंब एंव उपेक्षा के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि मैं शैला भट्ट, उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) की नियमित उपभोक्ता हूँ। मेरे आवास पर सरकार की नीति के अंतर्गत सोलर प्लांट स्थापित है, जिससे उत्पादित अतिरिक्त विद्युत ऊर्जा विभाग को आपूर्ति की जाती है। मैंने दिनांक 07/11/2025 को UPCL को लिखित प्रार्थना पत्र देकर सोलर प्लांट से उत्पन्न अतिरिक्त विद्युत ऊर्जा की राशि 13,380.98 (तेरह हजार तीन सौ अस्सी रूपये अट्ठानवे पैसे) मेरे बैंक खाते में जमा कराने का अनुरोध किया था। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज तक न तो उक्त राशि का भुगतान किया गया है और न ही मेरे प्रार्थना पत्र पर कोई लिखित उत्तर दिया गया है। इस संबंध में मैं कई बार संबंधित बिजली विभाग के कार्यालय के चक्कर लगा चुकी हूँ, परंतु हर बार केवल आश्वासन ही मिला, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। UPCL की यह कार्यप्रणाली उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है तथा UERC द्वारा निर्धारित नियमों व*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248(
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

समय सीमा के विपरीत है। विभाग की लापरवाही के कारण मुझे मानसिक, आर्थिक एवं समय की गंभीर क्षति हुई है। अतः माननीय आयोग से निवेदन है कि मेरे प्रकरण में हस्तक्षेप कर UPCL को निर्देशित करने की कृपा करें कि–

1. *लंबित राशि रू० 13,380.98 का तत्काल भुगतान मेरे बैंक खाते में किया गया।*
2. *अनावश्यक विलंब के लिए उचित ब्याज/क्षतिपूर्ति दिलाई जाए।"*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 174, दिनांकित 13/01/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि श्रीमती शैला भट्ट संयोजन संख्या सी०डी०27173435742 की सोलर प्लान्ट से उत्पन्न विद्युत ऊर्जा की राशि रू० 13503.00 चैक संख्या 637948 (पी०एन०बी०) दिनांक 07.01.2026 के माध्यम से उपभोक्ता भुगतान कर दी गई है।"*

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन संख्या CD27173435742 की सोलर प्लान्ट से उत्पन्न विद्युत ऊर्जा की राशि रू० 13503.00 चैक संख्या 637948 (पी०एन०बी०) दिनांक 07.01.2026 के माध्यम से उपभोक्ता को भुगतान कर दी गई है। क्षतिपूर्ति दिलाए जाने के सम्बन्ध में मंच का मत है कि परिवादी द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 07.11.2025 के क्रम में विपक्षी द्वारा सभी विभागीय कार्यवाही पूर्ण करते हुए दिनांक 07.01.2026 को रू0 13503.00 का भुगतान परिवादी को उकने बैंक खाते के माध्यम से कर दिया गया है।

उपरोक्त अल्प अवधि में विपक्षी द्वारा सभी औपचारिक्ताए पूर्ण करते हुए परिवादी को भुगतान किये जाने के फलस्वरूप परिवादी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उपरोक्ता चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के संयोजन संख्या CD27173435742 की सोलर प्लान्ट से उत्पन्न विद्युत ऊर्जा की राशि रू० 13503.00 का भुगतान किये जाने संबंधी शिकायत का निवारण

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

धनराशि भुगतान कर कर दिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

14-2-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

19/02/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

19/02
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रं
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276735
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 119 / 2025

श्री अनुज कुमार कटियार
निवासी–23, भण्डारी बाग,
ब्लॉक 03, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 10.02.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि गत 07 से 08 माह से प्रार्थी के घर का विद्युत मीटर खराब पडा है, जिसकी सूचना विद्युत–विभाग द्वारा हमें माह नवंबर 2025 में दी गई। यह सूचना भी विभाग द्वारा तब दी गई जब विभाग से पूछा गया कि कई माह से विद्युत बिल क्यों नहीं आ रहा है प्रार्थी द्वारा 12/11/2025 को 1912 नं० पर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसकी शिकायत संख्या 21211250634 है। संज्ञान में यह भी लाना है कि हमारा मीटर लगभग 01 वर्ष से खुला पडा था एवं उल्टा लटका हुआ था, जिसकी सूचना कई बार मौखिक रूप से विद्युत विभाग को दी गई कि संभवतः हमारे मीटर से किसी के द्वारा बिजली चोरी की जा रही है एवं मीटर के ढक्कन को बंद करने हेतु भी अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि गत कई माह से हमें आज तक विद्युत बिल की हार्ड कॉपी प्राप्त नहीं हुई है एवं 23/12/2025 को यू०पी०आई० पर हमारा बिल धनराशि रू 35,100/– देय*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

प्रदर्शित हो रही है। जो कि अत्यधिक धनराशि है। अतः आपसे अनुरोध है कि प्रार्थी की शिकायत का शीघ्र निवारण करने का कष्ट करें।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 505, दिनांकित 12/01/2026 से मंच को अवगत कराया है कि *"विद्युत संयोजन संख्या SD75175109317 का विद्युत बिल मार्च 2025 से आई०डी०एफ० पर है तथा विद्युत बिल औसत रीडिंग के आधार पर निर्गत किये जा रहे है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 01.12.2025 से 02.01.2026 (मीटर बदले जाने तक) अर्थात् 07 बिल चक्रों में IDF के आधार पर विद्युत बिल जारी किये गये, विपक्षी द्वारा सुनवाई के दौरन मंच को अवगत कराया गया कि 01.12.2025 से 24.03.2025 तक परिवादी को तीन बिल चक्रों के आई०डी०एफ० आधार पर दिनांक 24.03.2025 को 2420 औसतम यूनिट का विद्युत बिल जारी किया गया है। तद्उपरान्त परिवादी को यू०पी०आई० के माध्यम से दिनांक 23.12.2025 को प्राप्त रू० 35,100/–के विद्युत बिल पर आपत्ति है।

यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम 5.1.7(1) में त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुय मीटरो की बिलिंग हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.1.7(1) "The Consumer shall be billed on the basic of the average consumption of the past three billing/cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stolen. These charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter." उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

विपक्षी द्वारा मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति परिवादी को दिनांक 01.12.2025 से 02.01.2026 (मीटर बदले जाने तक) अर्थात् 07 बिल चक्रों में प्रेषित आई0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष 4 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना एवं दिनांक 03.02.2026 को निर्गत बिल में केवल नये मीटर की वास्तविक रीडिंग के आधार पर ही बिल जारी किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा परिवादी को दिनांक 01.12.2025 से 02.01.2026 (मीटर बदले जाने तक) अर्थात् 07 बिल चक्रों में प्रेषित आई0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष 4 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना एवं दिनांक 03.02.2026 को निर्गत बिल में केवल नये मीटर की वास्तविक रीडिंग के आधार पर ही विद्युत बिल संशोधित करे। विपक्षी आदेश की अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने** पर परिवादी **आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत** औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, **देहरादून में अपील** कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

10-2-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

10/02/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

10/02/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0कॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो॰
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 123/2025

श्रीमती सुषमा राणा, — परिवादी
निवासी– सिद्धांत एंटरप्राइज,
स्वस्तिक प्लाजा बंजारावाला, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

दिनांक: 17.02.2026

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding worn out Service cable of his electrical connection in the Shop.

The Complainant submits and prays as under:-

" Sir, in the context of the above, it is requested that on January 3, 2025, the electrical connection to the shop was disconnected due to the dilapidated condition of the electrical cable. When a complaint was made, the consumer was told that the cable would have to be brought at his own expense, and the electrical connection was not restored, thus proving the saying that the shop would remain in darkness. Alternative arrangements were not even made.

Therefore, it is a humble request to you Sir that you kindly resolve the problem as soon as possible by giving recommendation for taking appropriate action so that the working system in the shop can be smooth."

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 41, दिनांकित 13/01/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि आवेदक द्वारा अपना विद्युत संयोजन संख्या SD65716170245 के दिनांक 03.01.2026 को केबल*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763872–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

जल जाने के कारण विद्युत सप्लाई बाधित हुई, जिसकी उपभोक्ता द्वारा शिकायत की गई है। उपभोक्ता के मीटर की जली हुई केबल को बदले जाने हेतु लाईनमैन द्वारा उपभोक्ता को अवगत कराया गया कि मीटर पर अत्यधिक लोड/विद्युत प्रदोष आने के कारण केबल जली है। अतः केबल उपभोक्ता द्वारा ही उपलब्ध करायी जायेगी। तत्पश्चात उपभोक्ता द्वारा केबल उपलब्ध कराये जाने पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर दी गई।"

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन संख्या SD65716170245 में उपभोक्ता द्वारा केबल उपलब्ध कराये जाने पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर दी गई।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की खराब विद्युत केबल बदले जाने संबंधी शिकायत का निवारण विद्युत केबल बदलकर कर दिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सक हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

17-2-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

17/02/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V. Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 124 / 2025

श्री भूपेन्द्र सिंह, परिवादी
निवासी– लेन नं0–12 नेहरू ग्राम,
कृष्णा विहार, मोखमपुर, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम दिनांक: 10.02.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding abnormal delay in installation of Check Meter and claim for compensation.
The complainant submits and prays as under:-

" I respectfully submit that I am a consumer of electricity under UPCL, Dehradun. I had applied for installation of a Check Meter and made the prescribed payment on 16 September 2025. Despite lapse of more than two months, the check meter has not been installed till date, which amounts to deficiency in service and violation of the Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 and UERC Standard of Performance Regulations, wherein the time limit for such service is prescribed. Due to the inaction of UPCL, I approached the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (UERC). The Commission, vide its reply, advised me to approach the Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF) for redressal of my grievance. A copy of the said email is enclosed for reference. In view of the above facts, I humbly request the Hon'ble

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

Forum to kindly: Direct UPCL to install the check meter immediately, and Award compensation to me for the undue delay as per applicable UERC Standard of Performance Regulations."

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 269, दिनांकित 15/01/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि उपरोक्त शिकायत संख्या 124/2026 श्री भूपेन्द्र सिंह, निवासी लेन नं०–12 नेहरूग्राम, कृष्णा विहार, मोहकमपुर, देहरादून के चैक मीटर के सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता (मीटर), विद्युत परीक्षणशाला, आराघर देहरादून से प्राप्त आख्या अनुसार उपभोक्ता श्री भूपेन्द्र सिंह के संयोजन में दिनांक 09.01.2026 को चैक मीटर स्थापित कर दिया गया है। सहायक अभियन्ता (मीटर) से प्राप्त आख्या एवं अन्य अभिलेखों की छायाप्रति आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अतः मंच से निवेदन है कि उपभोक्ता के वाद को निस्तारित करने की कृपा करें।"*

विपक्षी द्वारा एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 761, दिनांकित 07/02/2026 से मंच को निम्नवत अवगत कराया है:–

1. *"चैक मीटर शुल्क प्राप्ति की तिथि 10.09.2025 है जिसके प्रमाण स्वरूप टैक्स ईन्वाइज कम रिसीद की प्रति संलग्न है।*
2. *चैक मीटर दिनांक 09.01.2026 को स्थापित किया गया जिसके प्रमाण स्वरूप मीटर सिलिंग प्रमाण पत्र नक संख्या 593 प्रपत्र संख्या 038 दिनांक 09.01.2026 की प्रति संलग्न है। इस प्रकार चैक मीटर शुल्क प्राप्ति के 121 दिनों बाद चैक मीटर स्थापित किया गया।*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V. Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.cor

अतः आपसे निवेदन है कि कृपया उपरोक्त आख्या का संज्ञान लेते हुये परिवाद को निस्तारित करने की कृपा करें।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी को दो मुख्य शिकायते है प्रथम की उनके परिसर पर चैक मीटर स्थापित कराया जाये जिसके क्रम में मंच को अवगत कराया गया कि दिनांक 09.01.2026 को सीलिंग प्रमाण पत्र संख्या 038 बुक सख्या 593 के द्वारा चैक मीटर स्थापित कर दिया गया है। परिवादी की अन्य शिकायत चैक मीटर स्थापित किये जाने में हुई देरी के लिए क्षतिपूर्ति के संबंध में हैं जिस के क्रम में मंच द्वारा मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Standard of Performance Regulations), 2022** के विनियम 6 का संज्ञान लिया गया, जिससे स्पष्ट है कि इस प्रकरण में परिवादी उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के कार्य निष्पादन के मानक विनियम् 2022 के SCHEDULE –III (Guaranteed Standards of Performance and Compensation to affected person in Case of Default) के बिन्दु 4(1) "Complaints lodged for accuracy test of Meter" के तहत् 91 दिनों (121–30) के विलंब हेतु क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के कार्य निष्पादन के मानक विनियम् 2022 के SCHEDULE –III (Guaranteed Standards of Performance and Compensation to affected person in Case of Default) के बिन्दु 4(1) "Complaints lodged for accuracy

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

test of Meter" के तहत् 91 दिनों (121–30) के विलंब हेतु हेतु 91×50 = 4550रूपये क्षतिपूर्ति प्रदान करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से** संतुष्ट नहीं होने पर **परिवादी** आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर **सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

10-2-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

10/02/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

10/02/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 128 / 2025

श्री विकम सिंह पवांर — परिवादी
निवासी– बद्रीपुर जोगीवाला,
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 12.02.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *"मैं विक्रम सिंह पवांर, पुत्र श्री सूरत सिंह, निवासी बद्रीपुर जोगीवाला, देहरादून के नाम से विद्युत संयोजन संख्या 9711124604794 कुछ समय से खराब चल रहा है। अतः महोदय से निवेदन है कि कृपया मेरे विद्युत बिल की जॉच कर आवश्यक संशोधन करने की कृपा करें।"*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 54 दिनांकित 20/01/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि " *उपभोक्ता का विद्युत बीजक संशोधित कर उपभोक्ता से दूरभाष पर वार्ता कर अवगत करा दिया गया है तथा उपभोक्ता सन्तुष्ट है।*"

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त के सन्दर्भ में मंच द्वारा कंज्यूमर लेजर का अवलोकन किया गया जिससे मंच के संज्ञान में आया कि विपक्षी द्वारा परिवादी के विद्युत बिल को दिनांक 20.01.2026 को CCBR के माध्यम से संशोधित कर दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की विद्युत बिल सबंधी शिकायत का निव बिल संशोधित कर एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी मौखिक संतुष्टि दूरभाष के माध्यम से व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की परिवादी की विद्युत बिल संबंधी शिकायत का निवारण बिल संशोधित कर एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी मौखिक संतुष्टि दूरभाष के माध्यम से व्यक्त किये जाने के फलस्वरुप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

12-2-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

12/02/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

12/02
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 129/2025

श्री लक्ष्मी चन्द बेदी — परिवादी
निवासी– एम.डी.डी.ए. रोड़, चक शाह नगर
निकट हरा पुल, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 27.02.2026
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विद्युत संयोजन बिना आवेदन के विच्छेदित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *"लक्ष्मी चन्द बेदी ने मोथरावाला मस्जिद के पास अपने मकान पर विद्युत कनेक्शन संख्या SD15731164607 एकाउंट नं0 41500870069 डिविजन, देहरादून साउथ में लिया था, वर्तमान समय में वह उपलब्ध नही है। उक्त कनेक्शन को मेरे बिना प्रार्थना पत्र दिये विच्छेदित कर दिया है, मीटर संख्या 122680 है। इस मकान पर मेरे किरायेदार पर कोर्ट केस चल रहा जो अब कोर्ट द्वारा खाली हो गया उसकी कॉपी तथा बिजली के सभी कागज संलग्न है तथा मेरे उपरोक्त कनेक्शन को पुनः चालू कराने की कृपा करें।"*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 95 दिनांकित 28/01/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि" *आवेदक द्वारा अपना विद्युत संयोजन सं0 SD15731164607 के संबंध में शिकायत की गई है कि उनका विद्युत संयोजन बिना आवेदन के विच्छेदित कर दिया गया है। इस संबंध में संज्ञान में लाना है कि उपभोक्ता का सम्बन्धित विद्युत संयोजन सं0 SD15731164607 दिनांक 25.12.2015 को निर्गत कर दिया गया था। उपभोक्ता द्वारा संयोजन निर्गत होने के बाद कोई भी बिल जमा नहीं कराया गया था। लगातार बकाये रहने के कारण दिनांक 02 सितम्बर 2024 को बकाये धनराशि पर उक्त संयोजन को स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया गया है। उक्त परिसर पर श्रीमति परवीन पत्नी श्री फरीद हुसैन, 105 देसी गांव मोथरोवाला, दे0दून द्वारा संयोजन लिया गया जो कि उन्हें उक्त परिसर पर कब्जे के अनुसार विभागीय नियमानुसार तिगुनी जमानत धनराशि जमा करने के आधार पर निर्गत किया गया है।*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 189 दिनांकित 20/02/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि" *आवेदक द्वारा अपना विद्युत संयोजन सं0 SD15731164607 के संबंध में शिकायत की गई है कि उनका विद्युत संयोजन बिना आवेदन के विच्छेदित कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में तत्कालीन क्षेत्रीय अवर अभियन्ता द्वारा आख्या उपलब्ध कराई गई है। जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त परिसर में दो मंजिला भवन था, जिसमें पहली मंजिल पर श्रीमती लक्ष्मी बेदी के नाम का संयोजन एस0डी0 1/5731/164607 लगा हुआ था। उसके बाद दूसरी मंजिल पर श्रीमती परवीन के द्वारा नये संयोजन के लिए आवेदन किया गया जिसके सापेक्ष उन्हें संयोजन सं0– SD15731680366 निर्गत किया गया। उक्त परिसर पर*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

दोनों संयोजन कब्जे के आधार पर विभागीय नियमानुसार तिगुनी जमानत धनराशि जमा करने के आधार पर निर्गत किया गया है।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि उनकी मूल शिकायत उनके नाम से जारी विद्युत संयोजन संख्या सं0 SD15731164607 के संबंध में है जिसे विद्युत विभाग द्वारा बिना उनके आवेदन के विच्छेदित कर दिया गया है। विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकातय के क्रम में मंच को अपनी आख्या पत्रांक संख्या 95 दिनांकित 28/01/2026 से अवगत कराया गया है कि परिवादी का उपरोक्त विद्युत संयोजन दिनांक 25.12.2015 को निर्गत कर दिया गया था। परिवादी द्वारा संयोजन निर्गत होने के बाद कोई भी बिल जमा नहीं कराया गया था। लगातार बकाये रहने के कारण दिनांक 02 सितम्बर 2024 को बकाये धनराशि पर उक्त संयोजन को स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया गया है। उक्त परिसर पर श्रीमति परवीन पत्नी श्री फरीद हुसैन, 105 देसी गांव मोथरोवाला, दे0दून द्वारा संयोजन लिया गया जो कि उन्हें उक्त परिसर पर कब्जे के अनुसार विभागीय नियमानुसार तिगुनी जमानत धनराशि जमा करने के आधार पर निर्गत किया गया है।

मंच द्वारा विपक्षी के उपरोक्त कथनों को जॉचा गया एवं पाया गया कि विपक्षी द्वारा परिवादी के विद्युत सयोजन संख्या SD15731164607 का प्रथम बिल दिनांक 13.03.2016 को MU के आधार पर जारी किया गया तत्पश्चात् दिनांक 30.04.2016 से दिनांक 02.03.2023 तक सभी बिल NA के आधार पर प्रेषित किये गये है जो कि माननीय् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियमों का उल्लघन है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षेः
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त जॉच के दौरान मंच के सज्ञान में यह भी आया कि विपक्षी द्वारा परिवादी के उपरोक्त वर्णित परिसर पर पूर्व से चल रहे संयोजन संख्या SD15731164607 का संयोजन जारी किये जाने की तिथि 25.12.2015 से लगातर विद्युत बिल जारी किये गये परन्तु विद्युत बिल भुगतान न होने के स्थिति में उक्त विद्युत संयोजन को कभी भी विच्छेदित नहीं किया गया जो संदेह उत्पन्न करता है।

विपक्षी द्वारा अपनी आख्या में मंच को यह अवगत कराया गया कि *"दूसरी मंजिल पर श्रीमती परवीन के द्वारा नये संयोजन के लिए आवेदन किया गया जिसके सापेक्ष उन्हें संयोजन सं0–* SD15731680366 *निर्गत किया गया। उक्त परिसर पर दोनों संयोजन कब्जे के आधार पर विभागीय नियमानुसार तिगुनी जमानत धनराशि जमा करने के आधार पर निर्गत किया गया है।"* को मंच स्वीकार नहीं कर सकता है क्योकि उक्त पूरे परिसर का उपयोग वर्ष 2012 से श्रीमती परवीन के द्वारा ही किया जा रहा था जिसकी पुष्टि परिवादी द्वारा श्रीमती परवीन के पती फरीद हुसैन के खिलाफ न्यायालय लघुवाद न्यायाधीश/षष्टम अपर जिला जज, देहरादून, उपस्थितः तरूण, (उच्चतर न्यायिक सेवा) लघुवाद संख्या–19 वर्ष 2016 से हो जाती है। मंच द्वारा उपरोक्त दोनों विद्युत संयोजनों की पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों की जॉच की गई एंव पाया कि परिवादी के नाम से जारी विद्युत संयोजन संख्या SD15731164607 का संयोजन जारी किये जाने की तिथि 25.12.2015 से लगातर विद्युत बिल जारी किये गये परन्तु विद्युत बिल भुगतान न होने के स्थिति में उक्त विद्युत संयोजन को कभी भी विच्छेदित नहीं किया जिस कारण उक्त विद्युत संयोजन में दिनांक 21.04.2020 को बकाया भुगतान रू0 18801.00 हो गया था, बावजूद इसके परिसर पर विद्युत बकाये होने की स्थिति में विपक्षी द्वारा श्रीमती परवीन पत्नी फरीद हुसैन के नाम से तिगुनी

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकाय
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन
देहरादून
दूरभाष: 0135-2769745, 2769755, 2
कार्यालय: 0135-2763672-75 फैक्स-0135-27
ई-मेल cgrfgz@gmail.co

जमानत धनराशि जमा करने के क्रम में दिनांक 08.10.2020 को संयोजन संख्या SD15731680366 निर्गत किया गया जो कि माननीय् विद्युत नियामक आयोग के विनियम का उल्लघ्न है।

मंच का मत है कि अगर विपक्षी ससमय कार्यवाही करता और बकाया होने पर भी नया सयोजन निर्गत न करता तो स्थापित संयोजन पर बकाया वसूल किया जा सकता था। इस पूरे प्रकरण में तत्कालीन तैनात कार्मिको की मिलीभगत स्पष्ट उजागर होती है।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच का मत है कि विपक्षी परिवादी को विद्युत संयोजन आवदेन करने पर उक्त परिसर पर विद्युत संयोजन नियमानुसार अवमुक्त करें एवं विद्युत संयोजन संख्या SD15731164607 का पूर्ण बकाया तत्कालीन तैनात कार्मिकों से वसूल किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा जिनके द्वारा माननीय् विद्युत नियामक आयोग के विनियमों का उल्लघ्न कर श्रीमती परवीन को संयोजन संख्या SD15731680366 परिसर पर बकाया होने की स्थिति में भी प्रदान किया गया है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी द्वारा विद्युत संयोजन आवदेन करने पर उक्त परिसर पर विद्युत संयोजन नियमानुसार अवमुक्त करें एवं विद्युत संयोजन संख्या SD15731164607 का पूर्ण बकाया तत्तकालीन तैनात कार्मिकों से वसूली करना सुनिश्चित करे जिनके द्वारा माननीय् विद्युत नियामक आयोग के विनियम का उल्लघ्न कर श्रीमती परवीन को विद्युत संयोजन संख्या SD15731680366 परिसर पर बकाया होने की स्थिति में भी प्रदान किया गया है। मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है वर्तमान में उक्त परिसर पर स्थापित संयोजन

umer Grievance Redressal Forum
Urja Bhawan, Kanwali Road
1
3745, 2769755, 2761956
3672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
fgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र),
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

SD15731680366 का बकाया उक्त संयोजन की जमानत धनराशि से समायोजित करते हुए स्थाई विच्छेदन

उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर** कता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27-2-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

27/02/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

27/
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

परिवाद सं0 130 / 2025

श्री अनिल कुमार,
निवासी– मोनल एन्क्लेव, लेन नं०–03,
बंजारावाला, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्री रजनीश माथुर
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली
श्री दीपक फरस्वाण

दिनांकः 19.02.2026
तकनीकी सदस्य
न्यायिक सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding Wrong excessive amount of Electricity Bill received .

The Complainant submits and prays as under:-

"I am a domestic costumer of upcl at banjarwala dehradun my electricy connection no SD15705150355 and account number is 40116998851 up to October 2025 my monthly bill is average between 3000 to 3500 rs on old meter and last bill paid on 05.11.2025 rs 3775 month of October 2025 and no bill pending up to October .after that 01.11.2025 smart meter installed and 2 months bill 111594/ than we submit application regarding that at turner road and after than

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.cor

correction bill was 21099/ that bill is not acceptable kindly issue correct bill with correct reading. Costumer is suffering to to deposit huge amount with panelties kindly resolve as eralist as possible thanks."

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 101, दिनांकित 31/01/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि आवेदक द्वारा अपने विद्युत संयोजन संख्या SD15705150355 के संबंध में शिकायत की गई हे कि द्वारा उनका विद्युत बिल संशोधन असंतोषजनक किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता का विद्युत बिल दिनांक 05.11.2023 से आर०डी०एफ० में आ रहा था, जिसका मीटर दिनांक 01.11.2025 को बदला गया। तत्पश्चात नया मीटर बदले जाने के उपरान्त उपभोक्ता का बिल नियमानुसार संशोधन किया गया। सुलभ सन्दर्भ हेतु उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री एंव बिल संशोधन शीट संलग्न है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 05.11.2023 से 13.12.2025 अर्थात् 23 बिल चक्रों में RDF के आधार पर विद्युत बिल जारी किये गये, जिस पर परिवादी को आपत्ति है।

विपक्षी द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 02.02.2026 को प्रस्तुत संशोधित बिल का मंच द्वारा अवलोकन किया गया जिसे मंच द्वारा माननीय् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियमों के नियमानुसार न पाते हुए निरस्त किया जाता है।

यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New**

Connections and Related Matters) Regulations, 2020 के विनियम 5.1.7(1) में त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुय मीटरों की बिलिंग हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.1.7(1) "The Consumer shall be billed on the basic of the average consumption of the past three billing/cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stolen. These charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter." उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति परिवादी को दिनांक 05.11.2023 से 13.12.2025 अर्थात् 23 बिल चक्रों में प्रेषित आर0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष 21 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना एवं दिनांक 13.12.2025 को निर्गत बिल में केवल नये मीटर की वास्तविक रीडिंग के आधार पर ही बिल जारी किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 02.02.2026 को प्रस्तुत संशोधित बिल निरस्त किया जाता है एव विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा परिवादी को दिनांक 05.11.2023 से 13.12.2025 अर्थात् 23 बिल चक्रों में

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

प्रेषित आर0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष 21 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना एवं दिनांक 13.12.2025 को निर्गत बिल में केवल नये मीटर की वास्तविक रीडिंग के आधार पर ही बिल संशोधित करे। विपक्षी आदेश की अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

19-2-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

19/02/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

19/02/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवल
देहरादून – 24
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.c

परिवाद सं0 133 / 2025

श्रीमती निर्मला उपाध्याय परिवादी
निवासी– बंजारावाला निकट त्यागी
सप्लायर्स, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम दिनांक: 20.02.2026

श्री रजनीश माथुर तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद आर0डी0एफ0 के आधार पर प्रेकिष विद्युत बिलों को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *"प्रार्थीनी के निवास में उपरोक्त विद्युत संयोजन है जो कि मार्च 2024 से RDF चल रहा था तथा विभाग द्वारा RDF में ही अपने अनुसार बिल प्रेषित किये जा रहे थे, किन्तु कुछ माह पूर्व प्रार्थीनी के घर का मीटर बदला गया था उनके मकान पर स्मार्ट मीटर लगाया गया जिसके बाद बिल और अधिक आने लगे रू0 64,619 तथा रू0 66,728 कमशः इस सम्बन्ध में प्रार्थीनी द्वारा दिनांक 29.10.2025 को पत्र के*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Gafhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून -- 248(
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

माध्यम से उपखण्ड अधिकारी को अवगत कराया गया किन्तु वर्तमान तक भी कोई निराकरण नहीं कराया गया जिससे विभाग के प्रति शिकायत का कोई भरोसा नहीं रह गया जिससे विभाग की छवि भी धूमिल हो रही है। इस क्रम में यह भी सूचित कराना है कि प्रार्थीनी ने अपने घरेलू विद्युत संयोजन से हॉट वाटर सोलर भी लगाया है जिससे इतना बिल आना संभव नही है साथ ही अवगत कराना है कि प्रार्थीनी इतना बिल देने में असमर्थ है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त समस्या का संज्ञान लेते हुए प्रार्थीनी के बिल को मार्च 2024 से संशोधित कराने तथा साथ ही जब तक उपरोक्त समस्या का निवारण न हो जाए तब तक प्रार्थीनी के विद्युत संयोजन को न काटा जाये। आपकी अति कृपा रहेगी।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 108 दिनांकित 02/02/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि *"आवेदक द्वारा अपने विद्युत संयोजन सं0– SD15705163581 के सम्बन्ध में विभाग द्वारा किये गये उनके बिल संशोधन से असंतोष जताया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता का विद्युत बिल दिनांक 28.03.2024 से 17.08.2025 आर0डी0एफ0 में आ रहा था, जिसका मीटर दिनांक 23.09.2025 को बदला गया तत्पश्चात नया मीटर बदले जाने के उपरान्त उपभोक्ता का बिल नियमानुसार संशोधन किया गया।"*

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 28.03.2024 से 12.10.2025 अर्थात् 18 बिल चक्रों में RDF के आधार पर विद्युत बिल जारी किये गये, जिस पर परिवादी को आपत्ति है।

विपक्षी द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 02.02.2026 को प्रस्तुत संशोधित बिल का मंच द्वारा अवलोकन किया गया जिसे मंच द्वारा माननीय् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियमों के नियमानुसार न पाते हुए निरस्त किया जाता है।

यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम 5.1.7(1) में त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुय मीटरो की बिलिंग हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.1.7(1) "The Consumer shall be billed on the basic of the average consumption of the past three billing/cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stolen. These charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter." उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति परिवादी को दिनांक 28.03.2024 से 12.10.2025 अर्थात् 18 बिल चक्रों में प्रेषित आर0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248(
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.cor

लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष 16 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना एवं दिनांक 12.10.2025 को निर्गत बिल में केवल नये मीटर की वास्तविक रीडिंग के आधार पर ही बिल जारी किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 02.02.2026 को प्रस्तुत संशोधित बिल निरस्त किया जाता है एव विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा परिवादी को दिनांक 28.03.2024 से 12.10.2025 अर्थात् 18 बिल चक्रों में प्रेषित आर0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष 16 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना एवं दिनांक 12.10.2025 को निर्गत बिल में केवल नये मीटर की वास्तविक रीडिंग के आधार पर ही बिल संशोधित करे। विपक्षी आदेश की अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

20-2-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

20/02/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रे
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

परिवाद सं0 136 / 2025

श्रीमती लुबना परवीन
निवासी– बी0 158, नेहरू कालोनी
धर्मपुर, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 28/02/2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding abnormal electricity billing after meter removal.

The Complainant submits and prays as under:-

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

"I am writing to formally lodge a complaint regarding the persistent issuance of inflated and incorrect electricity bills for my premises located at B-159, Nehru Colony, Dharampur, Dehradun, Uttarakhand-248001, despite the electric meter having been officially removed by the department. The electricity meter no 40106052095 at the aforementioned premises was removed by the electricity department due to meter dead condition that is meter was not showing reading, several complains has been made regarding the matter but many times technical person from the department came and returns back with no solution at last the department permanently removed the meter from the above mentioned premises without installing the new one. Also one thing I want to inform you that there was no one right now living in the premises and till date our electricity bill has been reached Rs. 15,715.00 without any meter which cause inconvenience, loss of time, and work. Despite the physical removal of the meter and the cessation of power supply, I have continued to receive monthly bills. I have previously approached the local sub-divisional office (SDO) and even CM Help Portal. However, despite my representations, the billing has not been stopped, nor has the ledger been corrected. I earnestly request the forum to-:

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

1. *Direct the department to quash/cancel all bills generated after the date of meter removal.*
2. *Correct the consumer ledger to reflect "permanent disconnection" till date and install new meter at the premises.*
3. *Cease any further billing or recovery actions against this consumer number.*
4. *Award compensation for the mental harassment and time spent resolving this systemic error."*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 4533 दिनांकित 16/02/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि *"शिकायतकर्ता श्रीमती लुबीना परवीन द्वारा संयोजन संख्या CD17112103945 का विद्युत बिल संशोधन हेतु वाद दर्ज कराया गया है, वादी के विद्युत संयोजन संख्या CD17112103945 में अवर अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि वादी का उक्त संयोजन 01.03.2025 को विद्युत बिल बकाया रू0 11471.00 पर Disconnection कर दिया गया था, तत्पश्चात माह 12/2025 में उपभोक्ता का बिल UDC में Process किया गया, Disconnection अवधि 6 माह से अधिक होने के उपरान्त वादी का मीटर पी0डी0 करने हेतु उतार लिया गया है। मीटर चैक करने पर वर्तमान में No display है तथा उक्त विद्युत संयोजन अभी पी0डी0 नही किया गया है Under Disconnected ही चल रहा है।"*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 21.02.2024 से 27.12.2024 अर्थात् 06 बिल चक्रों में IDF,RDF के आधार पर विद्युत बिल जारी किये गये, जिस पर परिवादी को आपत्ति है।

यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम 5.1.7(1) में त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुय मीटरो की बिलिंग हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.1.7(1) "The Consumer shall be billed on the basic of the average consumption of the past three billing/cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stolen. These charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter." उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति परिवादी को दिनांक 21.02.2024 से 27.12.202 अर्थात् 06 बिल चक्रो में प्रेषित आई0डी0एफ0 एवं

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Gathwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrf z@gmail.com

आर0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष 04 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा परिवादी को दिनांक 21.02.2024 से 27.12.2025 अर्थात् 06 बिल चक्रों में प्रेषित आई0डी0एफ0 एवं आर0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष 04 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिये जाने के आधार पर ही बिल संशोधित करे। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि मंच के उपरोक्त आदेश के क्रम में परिवादी द्वारा संशोधित विद्युत बिल जमा कराये जाने के उपरान्त विपक्षी परिवादी के उपरोक्त विद्युत संयोजन को पुनः ऊर्जीकृत करना सुनिश्चित करे। विपक्षी आदेश की अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28-2-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

28/02/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

28/02/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail -- cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रे
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 142/2025

श्री नरेन्द्र कुमार दीक्षित पुत्र विश्म्बर सहाय दीक्षित — परिवादी
निवासी– 46, मनीराम रोड़, ऋषिकेश।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (ऋषिकेश)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांकः 20.02.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विद्युत भार वृद्धि हेतु आवेदन के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *"प्रार्थी ने दिनांक 14.11.2025 को अपने उक्त संयोजन का विद्युत भार 01 किलो वाट से 05 किलो वाट किये जाने हेतु यूपीसीएल के विद्युत वितरण उपखण्ड–हरिद्वार रोड़, ऋषिकेश के कार्यालय में आवेदन पत्र दिया गया था। जिसका कार्यालय में पंजीकृत सं0 863141125004 है। महादेय उक्त कार्य हेतु प्रार्थी को चक्कर कटाये जा रहे है, उपखण्ड अधिकारी कहते है बड़े साहब के कार्यालय से होगा और बड़े साहब के कार्यालय में गया तो वे कहते है पहले उपखण्ड अधिकारी से मिलो उनके स्तर से ही होगा*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone),
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

और काफी चक्कर लगाने काटने के बाद अब जेई साहब कहते है कि आपके परिसर पर तो नया ट्रांसफार्मर लगेगा तब जाकर लोड स्वीकृत किया जायेगा। महोदय प्रार्थी एक शिक्षक की सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है और वर्तमान में 78 वर्ष का हो गया हूँ चलने फिरने में भी असमर्थ हूँ इस प्रकार से किसी कार्य के लिए चक्कर कटाना अत्यंत अशोभनीय एवं पीडा दायी है, जिस कारण मैं काफी चिन्तित हूँ। पहले मुझे चक्कर कटाया गया और अब विभाग द्वारा मेरे परिसर पर ट्रांसफार्मर लगाने का दबाव बनाकर मुझे परेशान कर मेरा उत्पीडन किया जा रहा है। जबकि मेरे परिसर पर ट्रांसफार्मर लगाने के लिए बिल्कुल भी स्थान उपलब्ध नही है। मेरे मकान का नक्शा MDDA से स्वीकृत है और MDDA द्वारा भी मुझे ऐसा नही बताया गया कि भविष्य में आपके परिसर पर ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होने पर आप परिसर पर उसके लिए स्थान छोड दे तो में ऐसा कर पाता वर्तमान में मेरे परिसर पर ट्रांसफार्मर लगाने के लिए स्थान उपलब्ध नही है। मुझे अब Three Phase Connection की आवश्यकता है। महोदय थक हार कर जब किसी अधिकारी द्वारा मेरी सहायता नही की गयी तो विवश होकर मुझे आपकी शरण लेने के लिए बाध्य होना पडा है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि कृपया प्रार्थी की शिकायत का संज्ञान लेते हुये अपने स्तर से न्योचित कार्यवाही कराने की महती कृपा करें।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 19.02.2026 को लिखित रूप में यह अवगत कराया गया कि उक्त शिकायत उनके द्वारा दर्ज नहीं कराई गई है। अतः उक्त शिकायत को खारिज किया जाये।

उपरोक्त के क्रम में मंच का मत है कि उक्त परिस्थिती उपरान्त उक्त प्रकरण आगे चलाने को कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त उक्त वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

20-2-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

20/02/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

20/02/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 147/2025

Shri.Pushkar Nand **V/s** **Executive Engineer, EDD, (South) D.Dun**

ORDER SHEET

Date- 26.02.2025

निर्णय

पत्रावली दिनांक 26.02.2026 को पेश हुई। उभय पक्ष अनुपस्थित है। विपक्षी द्वारा वाद निस्तारण के संबंध में आख्या पत्राक संख्या 203 दिनांकित 24.02.2025 प्रस्तुत की गई।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनके विद्युत संयोजन पर दिनांक 07.10.2025 को स्मार्ट मीटर संख्या 5845068 सीलिंग प्रपत्र संख्या 46511 बुक संख्या 01 के द्वारा स्थापित किया गया था, परन्तु लगभग 05 माह से उन्हें कोई भी विद्युत बिल प्राप्त नहीं हुआ है, उनके द्वारा कई बार उपखण्ड कार्यालय टर्नररोड देहरादून से संपर्क किया गया परन्तु हर बार एक ही बात बताई गई है, कि आपकी सीलिंग जीनस कंपनी द्वारा अपलोड की जायेगी, परतु 05 माह बीत जाने के बाद भी आज तक विद्युत बिल प्राप्त नही हुआ है। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग को विद्युत बिल जारी किये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करे।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 203 दिनांकित 24.02.2026 के द्वारा अवगत कराया गया कि उपभोक्ता का बिल निर्गत कर दिया गया है।

उपरोक्त के क्रम में मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

26-2-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

26/02/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

26/02/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 152/2025

श्रीमती कमलजीत कौर
निवासी– 33, केवल विहार, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 26.02.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding amending the inflated electricity bill for the month of January 2026.

The Complainant submits and prays as under:-

"I have recently got intimation of my electricity bill dues for my account no. 40104801759 for the month of Jan 26. I was shocked to see the bill amount as it was more than double than usual bills without any additional consumption. My problem started when my

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

electricity meter was replaced with new smart meter. Billing jumped suddenly but I tolerated but now all limits of my tolerance have crossed when amount increased to more than double. I have been heard about the faulty smart meters and public opposition for the same but now I realized the poor public was right as I am also victim now. I humbly request you to review and arrange genuine bill for my above started account no. I also request you to immediately arrange for remove this faulty smart meter and install the old meter which being continued by most of the people."

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 926 दिनांकित 23/02/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि *"उक्त संयोजन (विद्युत संयोजन संख्या 7021328075236) श्रीमती कमलजीत कौर निवासी– केवल विहार, देहरादून के नाम से है जो कि घरेलू विद्या में दो किलो वाट का है। उक्त संयोजन का बिल रीडिंग के आधार पर बने है तथा पूर्ण रूप से सही है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच द्वारा परिवादी की बिलिंग हिस्ट्री का विश्लेषण किया गया तो पाया कि स्मार्ट मीटर स्थापित किये जाने के उपरान्त की विद्युत खपत पूर्व के भाति ही है, जिसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। परिवादी द्वारा भी मंच के सम्मुख उपरोक्त कथन पर अपनी सहमति प्रदान की गई।

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि परिवादी का विद्युत मापक वास्तविक विद्युत खपत का आकलन सही प्रकार से कर रहा है, जिससे यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को विवादित बिल चक्र में वास्तविक खपत के ही आधार पर ही

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

विद्युत बिल जारी किया गया है, तथा इनमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद उपरोक्त परिस्थितियों में खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

26-2-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

26/02/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

26/02/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 153/2025

श्री विक्रम कुमार पुत्र श्री रग्घु,
निवासी–नई बस्ती दौडवाला,
मथुरावाला, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 25.02.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत संयोजन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि मेरा नाम विक्रम कुमार है, मैं अपने निजी आवास–नई बस्ती, दौडवाला, मथुरावाला, देहरादून में रहता हूँ। चूकिं मेरे द्वारा घर पट्टे के आधार पर क्रय किया गया है, जिस कारण मेरे आवास में बिजली विभाग द्वारा बिजली कनैक्शन देने से मना किया जा रहा है। महोदय, मेरे दो छोटे बच्चे है और अनकी पढाई घर पर बिजली न होने से प्रभावित हो रही है। बिजली कनैक्शन हेतु विद्युत वितरण खण्ड, आई०एस०बी०टी०, देहरादून में सम्पर्क किया गया, जिस पर उनके द्वारा पट्टे वाले आवास पर बिजली कनैक्शन दिये जाने हेतु मौखिक रूप मना किया गया है। अतः महोदय से अनुरोध है कि मेरे प्रकरण पर विचार कर बिजली कनैक्शन दिलवाने का कष्ट करें। मेरे आवास के पट्टे के कागज एवं आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न है।"*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 188, दिनांकित 20/02/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि उपभोक्ता द्वारा उक्त संयोजन शासकीय भूमि (पट्टे वाली भूमि) पर दिये जाने हेतु आग्रह किया गया था, जबकि नगर निगम, देहरादून द्वारा कार्यालय पत्रांक–109/CT/2023 दिनांक–25.02.2023 द्वारा बिना स्वामित्व की भूमि (पट्टे वाली भूमि) पर विद्युत संयोजन दिये जाने हेतु प्रतिबन्ध लगाया गया है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि उनके द्वारा विपक्षी के कार्यालय में विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया था, परन्तु विपक्षी द्वारा स्वामित्व संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत न किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को घरेलू संयोजन निर्गत नहीं किया गया।

यहा पर माननीय् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम **3.3.2(4)(a)(i)** के द्वितीय परन्तुक का उल्लेख समीचीन होगा– "Provided further that where the applicant is unable to submit the documents mentioned at a) to e) above and objection has been raised on the **premises** by District Magistrate/Government Authorities/ Government under whose jurisdiction **premises** falls, the Licensee shall not grant new conncetion to such Applicant."

[Emphasis Added]

विपक्षी द्वारा माननीय् आयोग के उपरोक्त विनियम के आलोक में संबंधित परिसर को लेकर सरकारी प्राधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति मंच के सम्मुख प्रस्तुत नहीं की गई है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त मंच का मत है कि विपक्षी विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 43(1) के अन्त परिवादी को विद्युत संयोजन निर्गत करें। बिजली पाना परिवादी का मौलिक अधिकार है। विपक्षी माननीय् **UERC** के **Supply Code 2020** के विनियम् **3.3.2(4)(a)(i)** के प्रथम परन्तुक के अनुसार परिवादी से आवेदन कराया जाना न्यायोचित होगा।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम् **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियन् **3.3.2(4)(a)(i)** के प्रथम परन्तुकः– **"Provided that in case the Applicant is unable to submit any of the document listed at a)to e) above, then the Applicant shall be charged thrice the amount of security as per Table 3.6 of Clause (11) of Sub-regulation 3.3.3. The owner of the premises, if different from the applicant, shall not be liable for payment of any dues against such connection."** के तहत् विद्युत संयोजन जारी करे। विपक्षी आदेश की अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद वय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

25-2-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

25/02/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

25/02/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य